न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 219/2021 दायर दिनॉक 17.08.2021

वादी		प्रतिवादीगण
1. जीवण अली पुत्र स्व. लालू उर्फ लाल मोहम्मद उम्र 68 वर्ष 2. जाफर हुसैन पुत्र स्व0 लालू उर्फ लाल मोहम्मद उम्र 63 वर्ष 3. अयूब उर्फ मोहम्मद अयूब पुत्र स्व0 लालू उर्फ लाल मोहम्मद उम्र 54 वर्ष समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासी गणेशपुरा, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. फतेह मोहम्मद पुत्र स्व0 मोहम्मद उम्र 72 वर्ष 2. जुले खां पुत्र स्व0 मोहम्मद उम्र 50 वर्ष 3. जीवणी बानो पत्नि स्व0 इमामुदीन उम्र 60 वर्ष 4. सुलेमान पुत्र स्व0 इमामुदीन उम्र 40 वर्ष 5. मो0 शबीर पुत्र स्व0 इमामुदीन उम्र 32 वर्ष 6. मो0 फेजान पुत्र स्व0 इमामुदीन उम्र 22 वर्ष 7. फातमा पुत्री स्व0 इमामुदीन उम्र 43 वर्ष 8. शबाना पुत्री स्व0 इमामुदीन उम्र 35 वर्ष 9. शाबीरा पुत्री स्व0 इमामुदीन उम्र 28 वर्ष 10. चायना पुत्री स्व0 इमामुदीन उम्र 26 वर्ष 11. उम्मे सलमा पुत्री स्व0 इमामुदीन उम्र 23 वर्ष 12. इसुब पुत्र स्व0 कालू उम्र 60 वर्ष 13. मोहम्मद मुस्लिम पुत्र स्व0 अनवर उम्र 40 वर्ष 14. मो0 फारूख पुत्र स्व0 अनवर उम्र 35 वर्ष 15. मो0 इरफान पुत्र स्व0 अनवर उम्र 30 वर्ष 16. मो0 मुस्तकीम पुत्र स्व0 अनवर उम्र 28 वर्ष 17. मो0 सिकन्दर पुत्र स्व0 अनवर उम्र 25 वर्ष 18. मो0 समीर पुत्र स्व0 अनवर उम्र 20 वर्ष 19. सुमया बानो पुत्री स्व0 अनवर उम्र 17 वर्ष (नाबालिग जरिये प्राकृतिक माता सायरा बानो) 20. सायरा बानो पत्नि स्व0 अनवर उम्र 55 वर्ष समस्त जाति व्यापारी मुसलमान निवासी गणेशपुरा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 21. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा—53, 88, 188

उपस्थितः—

1. श्री जमनलाल जांगिड़ वकील वादी।

—:: अंतिम निर्णय ::—

दिनाँक 14.05.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि शहरद बेमोठ चक—2, पटवार क्षैत्र बरड़वा खेत खसरा सं0 36, 37 एवं 38 रकबा क्रमशः 3.50, 3.19 एवं 2.75 कुल रकबा 9.44 हैक्टे0 भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनॉक 03.03.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 268 दिनाँक 15.06.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसील[illegible] द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान सुनी गयी जिसमें पक्ष[illegible] बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु [illegible] तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसील[illegible] डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 268 दिनॉक 15.06.2023 को स्वीकार कर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, राजस्व ग्राम बेमोठ चक–2, पटवार क्षैत्र बरड़वा खेत खसरा सं0 36, 37 एवं 38 रकबा क्रमशः 3.50, 3.19 एवं 2.75 कुल रकबा 9.44 हैक्टे0 भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये प पत्रांकः 268 दिनाँक 15.06.2023 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार डीडवाना का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 268 दिनाँक 15.06.2023 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **14.05.2025** को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:55:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner